

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 205/2018

अपीलान्ट्स

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 जयप्रकाश पुत्र बुधाराम (फौत) के  
कायममुकामान  
1/1 जानकी बेवा जयप्रकाश  
1/2 हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश  
1/3 नाथी पुत्री जयप्रकाश  
1/4 कृष्णा पुत्री जयप्रकाश  
2रूपाराम पुत्र बुधाराम  
जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा  
तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

1छोटीदेवी पुत्री हरीराम पत्नी रामेश्वर पुत्र गोपाराम जाति  
कुम्हार निवासी मुण्डवा हाल निवासी हरसोलाव तहसील  
मेडता जिला नागौर।  
2राधा देवी पुत्री हरीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डवा हाल  
गांव चरकडा तहसील गोखा जिला बीकानेर।  
3रामकिशोर पुत्र पैमाराम जाति माली निवासी नागलवास  
तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।  
4तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

### निर्णय

दिनांक 04.10.2022

[1]-अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3436 दिनांक 08.08.2018 स्वीकार करने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 17.09.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 3 की ओर से श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे हैं। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 3436 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के फर्द अहकामात की फोटोप्रति पेश की गई। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील श्री कन्हैयालाल सुथार ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 नियम 3 सीपीसी अपीलान्ट जयप्रकाश का निधन हो जाने से उनको कायममुकाम को पक्षकार जोड़े जाने बाबत दिनांक 18.12.21 पेश कर साथ ही इनके कायममुकाम का वकालतनामा पेश किया जिसपर वकील रेस्पोडेन्ट ने अनापत्ति जाहिर की, जिससे स्व. जयप्रकाश के कायम मुकाम जानकी बेवा जयप्रकाश, हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश, नाथी पुत्री जयप्रकाश तथा कृष्णा पुत्री जयप्रकाश जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा बतौर पक्षकार अपीलान्ट्स रिकॉर्ड पर लिया गया।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-म्यूटेशन जैर अपील तथ्यों व विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](II)-वादग्रस्त खेताय खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 मौजा मुण्डवा के बाबत बंटवाडा घोषणा खातेदारी आदि का वाद अपीलान्ट्स द्वारा किया हुआ वाद सं. (115/09) 156/16 सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय में लंबित है, जो सन 2009 से चल रहा है वाद लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार को कोई भूमि विक्रय करने का भी हक नहीं है, यदि विक्रय किया जाता है तो वाद के फैसला से क्रेता बाधित रहेगा, ऐसी दशा में दौराने दावा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने व क्रयसुदा भूमि का नामान्तरकरण कराने का कोई अधिकार पक्षकारों को नहीं है। प्रकरण हाजा में परसाराम ने शीताराम पुत्र गंगाराम का गोद पुत्र बनकर अपने नाम से जो म्यूटेशन कराया है, वह स्वयं ही विधि विरुद्ध व शून्य है, ऐसी दशा में उक्त म्यूटेशन के जरिये कोई हक ही परसाराम को प्राप्त नहीं हुए, महज राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राजी है, जिसके आधार पर किया गया बेचान भी प्रभावहीन व शून्य है।

  
अपर कलक्टर, नागौर

[2](III)—वाद लंबित रहने के दौरान कोई भी पक्षकार विवादित सम्पति जो न्यायालय के सामने सब-ज्यूडिश है, का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं रखता। फिर भी पक्षकार रेस्पोंडेंट द्वारा विक्रय व खरीद-फरोख्त किया गया है, जो उक्त वाद के द्वारा निर्णीत होने वाले हको से बाधित रहने की स्थिति बनी हुई है, ऐसी दशा में निर्णय के अनुसार ही पालना होना सुनिश्चित है, इस वजह से दौराने दावा राजस्व रेकॉर्ड में अनावश्यक पक्षकारों के नाम इन्द्राज कर देने से पक्षकारों के मध्य बिना मतलब की मुकदमेबाजी बढ़ने की स्थिति बनेगी। जिसे टालने की दृष्टि से भी म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्ध होने से अपारस्त होने योग्य है।

[2](IV)—विक्रेता छोटी देवी व राधादेवी व अपीलांटस के मध्य राजस्व वाद हक तय कराने व बंटवाडा का वाद लंबित है, राधादेवी व छोटीदेवी रेस्पोंडेंटस ने बिना हक व बंट तय कराये ही दौराने वाद अपनी मर्जी अनुसार गलत हिस्सा दर्ज करवाकर बेचान रेस्पोंडेंटस सं. 3 को बेचान कर दिया व उक्त अनुसार ही म्यूटेशन जैर अपील भरकर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया, ऐसी दशा में गलत बने राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर फिर पक्षकार बेचान कर देगे व बाहुबली क्रेता जबरन कब्जा छीनने को प्रयास करेगे, ऐसी दशा में वाद बाहुल्यता होना तय है तथा पक्षकारों को हको के लिये आपसी झगडे फिसाद में धकलने जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी। ऐसी दशा में वाद लंबित रहने के दौरान विक्रय के आधार पर भरा गया म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य होने से म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जावे तथा राजस्व रेकॉर्ड पूर्ववत ताफैसला वाद बनाये रखा जाने की आज्ञा दिया जाना न्याय हित में है।

[2](V)—म्यूटेशन जैर अपील की कार्यवाही के दौरान अपीलांटस को कोई नोटिस नहीं दिया, न ही अपीलांटस को पक्षकार बनाया, न ही अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया। अपीलांटस को स्व. सीताराम की सम्पति को उत्तराधिकार के जरिये प्राप्त करने का दावा कर रखा है जो अभी लंबित है ऐसी दशा में अपीलाधीन म्यूटेशन से अपीलांटस के हको पर विपरीत प्रभाव पडा है, ऐसी दशा में अपीलांटस ने अपील पेश की तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 907 से 912, आरआरटी 2009 (2) पेज 816 से 818 तथा आरआरडी 1994 पेज 77 से 79, आरआरटी 2012(2) पेज 1412 से 1417 व आरआरटी 2003(1) पेज 47 से 54 नजीरे पेश की।

[3]—रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता द्वारा बहस में हिस्सा लेते हुए बताया कि -

[3](I)—अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं बिना प्रावधान के तहत की गई है। क्योंकि नामान्तरकरण अपील जिला कलक्टर / अपर जिला कलक्टर के पास तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरुद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जाती है जबकि अपीलांटस द्वारा उपरोक्त अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है जिसमें ऐसी अपील पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये प्रथम दृष्टया अपीलांटस की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

[3](II)—अपीलाधीन नामान्तरकरण में विवादित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा जो अपीलांटस व दीगर रेस्पों. व अन्य की खातेदारी में रहते चले आये है। उक्त खसरे नामान्तरकरण से पूर्व बुधाराम, सीताराम व हरीराम पिता गंगाराम की खातेदारी में रहते चले आये थे तथा इस तरह की वंशावली राजस्व वाद सं. 115/09 सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर तत्पश्चात सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर वाद सं. 156/16 जो धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया जो अपीलांटस द्वारा पेश किया उस हिसाब से भी 1/3 हिस्सा सीताराम का, 1/3 हिस्सा बुधाराम व 1/3 हिस्सा हरीराम का तथा उसी हिसाब से वाद में उपरोक्त व्यक्ति फोट होने पर विरासत में फोटगी नामान्तरकरण के जरिये उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई जो अपीलांटस व रेस्पों. है अपने हिस्से का उसी अनुसार वारिस से फोटगी नामान्तरकरण व विक्रय किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो विधि सम्मत होने से अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

[3](III)—अपीलांटस द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद के जवाब में अपीलांटस द्वारा प्रतिदावा खसरा नं. 881, 882, 897 मौजा मुण्डवा व खसरा नं. 4449 मौजा खेण में संयुक्त खातेदारी होना बताकर 1/3 हिस्से के अनुसार वाद पेश कर अनुतोष चाहा जिस पर अपीलांटस की ओर से जबाबुल जवाब पेश किया जिसमें अपीलांटस द्वारा उक्त खसरान की भूमि को संयुक्त व पैतृक भूमि नहीं माना है तथा अलग अलग खातेदारी की भूमि व अलग अलग कब्जा काश्त की भूमि मानकर प्रतिवाद का जवाब पेश किया है ऐसी स्थिति में अपीलांटस का वाद प्रतिवाद का जवाब व अपील में तीन तरह का अभिवचन किया गया है। इसलिये अपीलांटस के

अभिवचनो तथा अपील के आधारो पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस अपने अपील का हित साधने की नीयत से दावा प्रतिदावा का जवाब के विपरीत कथन किये गये होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](IV)—म्यूटेशन जैर अपील हरीराम के फोट होने पर उनकी पत्नी जेठी पुत्र पूनाराम पुत्र संग्राम के नाम भरा गया वप तहसीलदार द्वारा दिनांक 6.11.17 को स्वीकृत किया गया। फोटगी नामान्तरकरण भरने में किसी प्रकार की कोई अन्य सहखातेदार को सूचना देना व उसको सुनना आवश्यक नहीं होता है तथा उनके वारिसों के नाम भरा जाता है जबकि अपीलांट इनका कोई वारिस नहीं है अन्य भाई का पुत्र है इसलिये अपीलांट को इस तरह की अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

[3](V)—फोटगी नामान्तरकरण जो कि हरीराम के वारिसों के नाम भरा गया है वो उसके नाम के स्थान पर उनके वारिस प्रतिस्थापित हुए हैं उससे किसी अन्य सहखातेदार का कोई हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही किसी विचाराधीन वाद में इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिये अपीलांट की अपील इस आधार पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

[3](VI)—फोटगी नामान्तरकरण या बेचाननामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण उसी व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है उसे किसी व्यक्ति का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई तब्दीली होती है तथा हिस्सा व खातेदारी घोषणा तथा बंटवाडे का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय में विचाराधीन है जो अपीलांट का स्वीकार सुदा तथ्य है तथा हिस्सा तय करना बंटवाडा करना, खातेदारी घोषणा करना तमाम अनुतोष न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय द्वारा तय होगा तथा वाद विचाराधीन अपीलो से पहले चल रहा है ऐसी स्थिति में अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं है। क्योंकि अपीलांट ने अपना हिस्सा होना बताया है तथा ऐसा हिस्सा न्यायालय हाजा तय नहीं कर सकता है। अपील केवल समरी ट्रायल होती है। दौराने वाद अपील पेश की है। इसलिये उक्त अपील चलने योग्य नहीं है न ही दौराने वाद नामान्तरकरण अपील में कोई आदेश पारित किया जाना राजस्व मंडल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपील में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये तथा अपील की सुनवायी रोक देनी चाहिये या उसको खारिज किये जाने का ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](VII)—अपीलांटस उपरोक्त नामान्तरकरण की अपीलो में किसी प्रकार से हितबद्ध व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांटस ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत की है। जबकि धारा 96 के आधार पर मूल डिक्री की अपील पेश की जाती है। जबकि अपीलाधीन आदेश एक आदेश की श्रेणी में आता है डिक्री की श्रेणी में नहीं आता है। आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने के लिये 104 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रावधान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि अपीलांटस की अपील बिना कानून के बिना आधार के कानून विपरीत पेश की गई होने से चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

[3](VIII)—अपीलांटस तीन भाई हैं। जयप्रकाश, रूपाराम व भंवरलाल पुत्रगण बुधाराम अपीलांटस अपने आपको अपीलाधीन आदेशों की खसरा की भूमि का हितबद्ध हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश की गई हैं जबकि अपने सगे भाई भंवरलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अगर अपीलांटस इसमें हितबद्ध पक्षकार हैं तो उसका भाई भंवरलाल आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है उसको पक्षकार बनाने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](IX)—अपीलाधीन आदेश में प्रभावित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा सरहद मुण्डवा में 1/3 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार सीताराम था जिसने बख्सीसनामा / दान पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 16.1.78 को परसाराम के पक्ष में लिखकर पंजीबद्ध करवा दिया था। जो अपील व दावे से पूर्व करवा दिया था तथा अपीलांटस ने कुचेष्टा पूर्वक सीताराम का हिस्सा हड़पने की नीयत से अपील पेश की तथा सीताराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपना संपूर्ण हिस्सा परसाराम के पक्ष में दान/बख्सीस कर देने से इसमें अन्य किसी सहखातेदार व भाई बंधु का हिस्सा नहीं बनता है तथा उसके आधार पर उसने आगे बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया गया जिसमें विधि की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](X)—अपीलांटस ने अपील सं. 206/18 में तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 30/18 कायम कर संबंधित पक्षकारों को सुना जाकर एवं उनको नोटिस दिया जाकर सीताराम पुत्र पूनाराम के नाम जो नामान्तरकरण गोदनामा बाबत तस्दीक किया गया वो बाद जांच बाद सुनवायी, बाद साक्ष्य अपना आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। जिसमें अपीलांटस का कोई हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही वो उसमें आवश्यक पक्षकार था इसलिये उसको सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित नहीं था अगर उक्त पत्रावली के आदेश से अपीलांटस व्यथित था तो उसकी अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर में होती है ऐसी अपील नहीं की है। इसलिये उक्त पत्रावली के आदेश को आधार मानकर अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](XI)—अपीलाधीन आदेश के तहत संबंधित गोदनामा, बख्शीसनामा दान पत्र विक्रय पत्र इत्यादि का अंकन करते हुए अपीलांटस ने अपील पेश की है तथा विक्रय पत्र के संबंध में सुशीला बनाम परसाराम सिविल वाद सं. 130/18 सिविल जज नागौर व वाद सं. 188/18 मनीराम बनाम धर्मराम सिविल जज नागौर तथा राजस्व वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपील में किसी प्रकार का हिस्सा आधार व हक नहीं माना जा सकता है। अपील केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिसमें किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नहीं लिया जाता है तथा वाद विचाराधीन होने की स्थिति में कानूनी रूप से अपील चलने योग्य नहीं है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

[3](XII)—अपील में किसी प्रकार का आधार मानकर आदेश प्रदान किया जाता है तो वो वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी एवं राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में चल रहे वाद प्रभावित होंगे ऐसी स्थिति में अपील को कानूनी प्रावधान उच्च न्यायालयों के सिद्धान्त के आधार पर चलना नहीं माना है तथा अपील में निर्णय करने की बाध्यता के सिद्धान्त प्रतिपादित कर अपील को रोकने व अपास्त करने के सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।


[3](XIII)—अपीलांटस द्वारा किसी भी विक्रय पत्र गोदनामा बख्शीसनामा इत्यादि को सक्षम न्यायालय में चलेन्ज नहीं किया गया है इससे साफ जाहिर है कि अपीलांटस साफ हाथों से एवं स्वच्छ अपील पेश नहीं की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह कर रेसपो. पर दबाव डालकर येनकेन प्रकारेण सीताराम का जो हिस्सा परसाराम को विधि अनुसार प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई है इस आधार पर भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[4]—राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[5]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3436 दिनांक 06.08.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारों के स्वत्व अधिकार निर्णीत नहीं किये जा सकते हैं। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये।

[6]— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[7]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मोहन लाल खटनावलिया)  
अपर कलक्टर, नागौर  
अपर कलक्टर, नागौर